(159)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 880—दो / 2002 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 21—01—2002 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 200 / अपील / 2000—01

.....

1— घुरहू पिता रामदत्त साहू
2— मंगल पिता रामदत्त साहू
निवासीगण— हरैया, तहसील चितरंगी, जिला—सीधी
..... आवेदकगण

विरूद्ध

1— शिवधारी तनय देवनाथ तेली
2— मु0 झेंगरू बेवा पत्नी रिचकोल तेली
निवासीगण— हरैया, तहसील चितरंगी, जिला—सीधी
3— मेनावती पुत्र स्व0 रिचकोले पत्नी तेजलाल तेली
निवासी—ग्राम गोदवाली, तहसील देवसर, जिला—सीधी
..... अनावेदकगण

.....

श्री कुवंर सिंह कुशवाह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 16/8/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21—01—2002 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तत्थ इस प्रकार है कि अनावेदक क्र0 1 शिवधारी ने ग्राम रामगढ़ स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 162 रकबा 0.26 है0 में से रकबा 0.13 का नामांतरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर किये जाने हेतु नायब तहसीलदार चितरंगी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । नायब तहसीलदार चितरंगी ने दिनांक 10.07.2000 से विवादित भूमि का नामांतरण अनावेदक क्र0 1

शिवधारी के नाम स्वीकार किया । नायब तहसीलदार चितरंगी के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी देवसर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । जहां अनुविभागीय अधिकारी ने विचारोपरांत आदेश दिनांक 30.11.2000 से अपील निरस्त कर विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखा है। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त रीव ने प्रकरण क्रमांक 200 / अपील / 2000—01 पर पंजीबद्ध कर पारित आदेश दिनांक 21.01.2002 से अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3 / उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4 / उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का भूमिस्वामी रिचकोल था एवं उसके मृत्यु पश्चात उसकी पत्नी अनावेदिका क्र0 2 झेंगरू के नाम वारिसाना नामांतरण हो गया था। जिस पर आवेदकगण द्वारा कहीं कोई आपत्ति प्रस्तुत न करने से वादग्रस्त भूमि झेंगरू के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया । यदि विवादित भूमि आवेदकगण के पूर्वजों की थी तो अनावेदिका क्र0 2 के पति चितकोल के नाम कैसे आ गई । इसका खुलासा भी आवेदकगण ने नहीं दिया और न ही चितकोल के मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी के नाम वारिसान नामांतरण होने पर भी कोई आपत्ति दर्ज की। अतः जब तक विधिवत वादग्रस्त भूमि का अन्तरण नहीं हो जाता, तब तक अनावेदिका क्र0 2 झेंगरू ही भूमिस्वामी है। झेंगरू द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय किया। चूँकि शिवधारी ने उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की है और रजिस्टर्ड के आधार पर ही नामांतरण किया गया है, ऐसे में नायब तहसीलदार का नामांतरण आदेश विधिसंगत है। अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी के द्वारा निकाले गये निष्कर्ष से स्पष्ट होता है कि शिवधारी को उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण कराने का अधिकार प्राप्त है और इसी

कारण अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के आदेश को यथावत रखा है, जो कि उचित प्रतीत होता है। जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त रीवा ने अपने विस्तृत आदेश में पूर्ण विवेचना कर की है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष निकलने से उसमें कोई हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

5/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर